कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. **0771-2263708,** Fax No.–**2262558,** www. tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक / 105 / रा.यु.उ.यो. / 2025–26 / 9374 नवा रायपुर दिनांक 13 / 11 / 2025

––संक्षिप्त विज्ञप्ति––

वर्ष 2025–26 में राजीव युवा उत्थान योजनांतर्गत नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रण हेतु सूचना

––00––

राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (A) अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कुल 185 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित) के लिए नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराये जाने की योजना है। इसके अंतर्गत योजना नियमावली की कंडिका–4 अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती है।

अतः ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थी, जो संघ लोक सेवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में रहकर करने के इच्छुक है। ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन–पत्र का आमंत्रण है। इस हेतु विवरण निम्नानुसार हैः–

(1) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि – 20 / 11 / 2025, दिन गुरूवार
(2) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 10 / 12 / 2025, दिन बुधवार रात्रि 12.00 बजे तक
(3) प्राक्चयन परीक्षा आयोजित करने की तिथि – 28.12.2025, दिन रविवार
(4) ऑनलाईन आवेदन जमा करने हेतु वेबसाइट – www.tribal.cg.gov.in
अथवा
https://hmstribal.cg.nic.in

विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट **www.tribal.cg.gov.in** से ऑनलाईन अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा– पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाईट से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं।

प्र॰ आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु
अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश वर्ष 2025–26

(1) **प्रशिक्षण की अवधि** – कोचिंग की अवधि अधिकतम 10 माह की होगी। सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा।

(2) **कोचिंग का स्थान** – नई दिल्ली में विभाग द्वारा सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(3) **योजनांतर्गत निर्धारित सीटे** – कुल 185 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये सीट आरक्षित)।

(4) **निवास तथा जाति संबंधी पात्रता** –

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो। जाति प्रमाण–पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए।
3. आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

(5) **आयु** – 01.08.2025 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष।

(6) **शैक्षणिक योग्यता** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

(7) **आय** – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदको के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके पालकों की वार्षिक आय क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित आय सीमा तक है, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(9) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।

(10) **आवेदन जमा करना** – अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in अथवा https://hmstribal.cg.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा कर सकते है।

(11) **प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप** – प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अधिकतम 03 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के समतुल्य होगा)

(12) **चयन** – अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

(13) **आवेदन पत्रों का भरा जाना** – आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही–सही देवें एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेंज पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।

(14) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन के माध्यम से सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) कोचिंग संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(15) **दस्तावेज, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड** – दस्तावेज अधिकतम 120 Kb तथा .PDF में होना चाहिए, फोटो अधिकतम 50 Kb तथा .JPG में होना चाहिए, हस्ताक्षर अधिकतम 20 Kb तथा .JPG में होना चाहिए।

(16) **स्वघोषणा प्रमाण–पत्र** – स्वघोषणा पत्र डॉउनलोड कर 10 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर नोटरी कराकर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे।

(17) **विस्तृत विवरण** – योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसे अवलोकन किया जा सकता है। उक्त योजना का संचालन राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा।

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

c:\users\acer\desktop\backup of backup of vigyapti.wbk

स्वघोषणा प्रमाण पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा 10 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित कराते हुए प्रस्तुत किया जाए)

मैं..पिता का नाम ....आयु.................................
.............वर्ग (ST/SC/OBC).................................. निवासी ग्राम ....पो0आ0.................
..................तहसील..जिला...(छ0ग0)

शपथ पूर्वक स्वघोषणा करता/करती हूँ कि योजना का लाभ लेने हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख/प्रमाणपत्र पूर्णतः सही एवं सत्य हैं, मेरे द्वारा कोचिंग अवधि में किसी महाविद्यालय में अध्ययन करने अथवा किसी शासकीय/अशासकीय संस्था एवं कार्यालय में सेवारत होने की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच पर सही पाये जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। मेरे द्वारा कोचिंग बीच में ही छोड़े जाने की दशा में शासन द्वारा मेरे उपर किये गये सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति मेरे द्वारा की जावेगी। अतः एतद् उपरोक्तानुसार स्वघोषणा करता/करती हूँ।

पालक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर –...............................
नाम –...............................
दिनांक –...............................